



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102026-277360
CG-DL-E-23102026-277360

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5535]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 22, 2026/आश्विन 30, 1948

No. 5535]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2026/ASVINA 30, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5752(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) जिसे रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित किया गया है के तहत भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित राजपत्र अधिसूचना, संख्या का. आ. 2115 (अ.) दिनांक 24 अप्रैल, 2026 जो की आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई थी जिसके सम्बन्ध में जिसमें उत्तर प्रदेश के विशेष रेल परियोजना जंघई-प्रतापगढ़-अमेठी (87 किमी) दोहरीकरण के क्रियान्वयन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं संचालन के लिए आवश्यक है यह भूमि तहसील हंडिया, जिला, प्रयागराज के जंघई तथा ग्राम सेमरी, बभनियाव तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर, राज्य उत्तर प्रदेश हेतु भूमि अधिग्रहण की सूचना दी गयी थी,

इसे अधिसूचित किया जाता है कि,

उक्त अधिसूचना में अधिग्रहण की जा रही विशेष रेल परियोजना का नाम अर्थात् विशेष रेल परियोजना जंघई —प्रतापगढ़ —अमेठी (87 किमी) दोहरीकरण के क्रियान्वयन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं संचालन के लिए आवश्यक है यह भूमि ग्राम सेमरी, बभनियाव तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर, राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है पढ़ा जाये तथा 20—ए अधिसूचना में प्रकाशित तहसील का नाम : हंडिया, ग्राम का नाम : जंघई, जिला — प्रयागराज 20—ए अधिसूचना को निरस्त माना जाय।

[फा. सं. 190-W/Land/Amethi-Pratapgarh/BSB-I]

श्याम सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण—।।

MINISTRY OF RAILWAYS
[Northern Railway (Construction Organization)]
CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd October, 2026

S.O. 5752(E).— With reference to the Gazette Notification No. S.O. 2115(E) dated April 24, 2026—published in the Official Gazette-regarding land acquisition under the Railways Act, 1989 (Act No. 24 of 1989), as amended by the Railways (Amendment) Act, 2008; wherein notice was issued for the **acquisition of land situated in Janghai (Tehsil Handia, District Prayagraj) and in the villages of Semari and Babhaniyav (Tehsil Machhlishahr, District Jaunpur, State of Uttar Pradesh) for the implementation, maintenance, management, and operation of the "Janghai–Pratapgarh–Amethi (87 km) Doubling" Special Railway Project in Uttar Pradesh:**

It is hereby notified that:

In the aforementioned notification, the name of the Special Railway Project for which the land is being acquired—specifically, the **"Janghai–Pratapgarh–Amethi (87 km) Doubling" Special Railway Project (required for its implementation, maintenance, management, and operation)**—shall be deemed to apply to the land situated in the villages of Semari and Babhaniyav, Tehsil Machhlishahr, District Jaunpur, State of Uttar Pradesh; and, consequently, the portion of the Section 20-A notification pertaining to Tehsil: Handia, Village: Janghai, and District: Prayagraj shall be deemed to be cancelled.

[F. No. 190-W/Land/Amethi-Pratapgarh/BSB-I]

SHYAM SINGH, Chief Administrative Officer/Const-II